



Neutral Citation-2026: AHC:19289

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या - 2693 वर्ष 2026

सुभाष चंद्र पाठकयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अमित गुप्ता, प्रतीक्षा राय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् तहसीलदार/अपर तहसीलदार (न्यायिक), तहसील सदर, जिला मिर्जापुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 11.03.2025 के पुनर्स्थापना आवेदन पर, जो वाद संख्या T202616530100521 (सुभाष चंद्र बनाम रिपोर्ट लेखपाल) के अंतर्गत है, एक निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय लें।

3. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

4. यह तर्क दिया गया है कि यह मामला निचली अदालत के समक्ष दिनांक 11.03.2025 से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, परंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् तहसीलदार/अपर तहसीलदार (न्यायिक), तहसील सदर, जिला मिर्जापुर, उपर्युक्त आवेदन पर विधि के पूर्णतः अनुरूप, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लें; परंतु ऐसा करते समय अनावश्यक स्थगन न दिया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"